न्यायालय – प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा, (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी – डॉ. ममता भोजवानी)

दाण्डिक अपील क्रमांक–26/2023
CNR No. CGJC05–000814–2023
संस्थित दिनांक–02/08/2023

संजय कुमार साहू, उम्र 26 वर्ष, पिता स्व. रामायण साहू,
निवासी ग्राम कुम्हारी कला, तह. सारागांव,
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.) .... **अपीलार्थी**

// ब ना म //

छ.ग. शासन
द्वारा जिला दण्डाधिकारी,
जिला सक्ती, (छ.ग.) .... **उत्तरवादी**

अपीलार्थी द्वारा श्री गनी मोहम्मद, अधिवक्ता।
उत्तरवादी द्वारा श्री दुर्गा साहू अपर लोक अभि.।

// निर्णय //
(आज दिनांक–16 मई, सन 2024 को घोषित)

1. न्यायालय–कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती के दा.प्र.क्र.–1139/2018 छ.ग. राज्य बनाम रामायण साहू+ 01 अन्य, अन्तर्गत धारा 294, 506, 323, 342, 34 भा.द.सं. में दिनांक 19/07/2023 को घोषित निर्णय एवं दण्डादेश के द्वारा अपीलार्थी/आरोपी

को भा.दं.सं. की धारा 323/34 एवं 342/34 के तहत अपराध का दोषी होना ठहराते हुए, उसे भा.दं.सं. की धारा 323/34 के अपराध हेतु 01 माह का साधारण कारावास एवं 1000/– के अर्थदण्ड से एवं भा.दं.सं. की धारा 342/34 के अपराध हेतु 01 माह का साधारण कारावास एवं 1000/– के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम पर क्रमशः 15–15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है, इसी दोषसिद्धि और दण्डादेश के विरूद्ध अपीलार्थी/आरोपी (जिसे आगे **आरोपी** कहा जायेगा) के द्वारा यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में निर्विवादित तथ्य कुछ भी नहीं है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी भरतलाल द्वारा दिनांक 30/09/2018 को आरक्षी केन्द्र बाराद्वार में इस आशय का रिपोर्ट दर्ज किया गया कि दिनांक 30.09.2018 को शाम लगभग 7.30 बजे दुर्गा चौक से अपने घर जाते समय रामायण साहू के घर के पास रामायण साहू उसे मेरे बेटे के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज किये हो कहकर मां बहन की बुरी बुरी गाली देते हुये अपने बड़े बेटा सोनू साहू के साथ जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़कर अपने घर अंदर ले जाकर जान सहित मारने की धमकी दिये तथा रामायण साहू घर में रखे डंडे से उसके पीठ को तथा सोनू साहू चप्पल से उसके चेहरे व पीठ को मारपीट किये। उक्त दोनों रामायण साहू व सोनू साहू साथ मिलकर एक राय होकर प्रार्थी को आधा घंटा तक गाली

गलौज एवं मारपीट किये। उक्त संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बाराद्वार में आरोपीगण रामायण साहू एवं सोनू साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 254/2018 धारा 294, 342, 323, 506, 34 भा.दं.सं. के तहत प्रथम सूचना पत्र प्र.पी.–1 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

4. विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा प्र०पी०–2 तैयार किया गया। आहत भरतलाल का चिकित्सीय मुलाहिजा कराया गया। जप्ती पत्रक के अनुसार जप्ती कार्यवाही की गयी। प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

5. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506 भाग दो, 323/34, 342/34 के अधीन अपराध का आरोप विरचित कर विचारण प्रारम्भ किया। आरोपीगण ने आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान सहआरोपी रामायण की मृत्यु हो जाने से उसके संबंध में कार्यवाही का उपशमन हुआ । अभियुक्त कथन में आरोपी संजय कुमार साहू उर्फ सोनू ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई उपरान्त निर्णय दिनांक 19/07/2023 के द्वारा आरोपी संजय कुमार साहू को धारा 294, 506 भाग दो के अपराध से दोषमुक्त करते हुये धारा 323/34 एवं 342/34 भा.दं.स. के तहत के अपराध का दोषी होना ठहराते हुए, उसे कंडिका 01 में उल्लेखित दण्डादेश के अनुसार दण्डित किया है। इसी दोषसिद्धि की उत्पत्ति एवं प्रदत्त दण्डाज्ञा से व्यथित होकर अपीलार्थी/आरोपी ने यह अपील अन्य आधारों सहित निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया है –

01– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय न्याय, समता एवं बनाये गए प्रावधान के विरूद्ध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

02– विचारण न्यायालय ने प्रकरण के स्वतंत्र साक्षियों के कथन को अनदेखा कर आरोपी के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालकर उसे दिया गया दण्डादेश अपास्त किये जाने योगय है।

03– विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों के कथन का गंभीरता पूर्वक परिशीलन किये बिना तथा जप्ती साक्षियों द्वारा जप्ती का समर्थन नहीं किये जाने से घोषित निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

04– डॉक्टर द्वारा आहत को आयी चोट डंडे से मारपीट करने के कारण आना नहीं बताया गया है तथा डंडे की क्वेरी के अभाव होने से आरोपी को दोषमुक्त किया जाना था।

अतः उपरोक्त आधारों पर विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं दण्डादेश को निरस्त किये जाने तथा अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

7. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता अपील ज्ञापन में दर्शित आधारों पर ही तर्क करते हुए अपील स्वीकार कर आरोपी को आरोपित आरोप से दोषमुक्त करने का निवेदन किए, जबकि अभियोजन की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की युक्तियुक्त मीमांसा उपरान्त निकाले गए दोषसिद्धि के निष्कर्ष एवं दण्डादेश को विधिसम्मत एवं युक्तिसंगत होना बतलाते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील निरर्थक होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

8. इस अपील के निराकरण के लिये अवधारणीय प्रश्न यह है कि –

क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराने एवं दण्डादेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की ऐसी कोई त्रुटि की है, जो अपीलीय क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य है ?

// निष्कर्ष एवं उसके आधार //

9. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण विसंगतियों एवं लोप को मामूली मानकर अपीलार्थी को संदेह का लाभ प्रदान न कर तथा स्वतंत्र साक्षी बड़कूराम के साक्ष्य पर ध्यान न कर त्रुटि की गयी है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जप्ती साक्षियों ने डंडे की जप्ती का समर्थन नहीं किया है। डंडे की क्वेरी नहीं करायी गयी है। डॉक्टर द्वारा आहत को डंडे से चोट आना नहीं बताया गया है। ऐसे में आरोपी की ओर से उसे निर्दोष होना बताकर अभियोजन साक्ष्य में विद्यमान संदेह का लाभ अभियुक्त को दिये जाने का निवेदन किया गया है।

10. घटना का प्रारंभ प्रकरण के प्रार्थी भरतलाल बरेठ द्वारा थाना बाराद्वार में दिनांक 30.09.18 को आरोपीगण रामायण साहू तथा सोनू साहू के नाम से दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना पत्र प्र.पी.–1 से हुआ है, जिसकी पुष्टि करते हुये प्रकरण के प्रार्थी भरतलाल बरेठ (अ.सा.–1) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 30.09.2018 को वह कुम्हारी कला, दुर्गा चौक से अपने घर जा रहा था, तब आरोपी संजय कुमार एवं मृत आरोपी रामायण का छोटा भाई, उसे पिता जी बुला रहे हैं, बोला, जिस पर वह उसके साथ उसके घर गया, तो न्यायालय उपस्थित आरोपी संजय और उसके मृत पिता रामायण ने उसके साथ गाली गलौज किये, मारपीट किये। अभियुक्तगण ने चप्पल से उसके गाल में तथा लाठी डंडा से उसके पीठ में मारपीट किये थे,

जिससे उसके कपड़े फट गये थे तथा उसे चोट आयी थी। उसके बाद वह घटना की रिपोर्ट करने थाना बाराद्वार गया था।

11. अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भरतलाल बरेठ (अ.सा.–1) ने बताया है कि आरोपीगण ने एक राय होकर आरोपी रामायण ने उसे डंडे से तथा सोनू से चप्पल से उसे मारा था। प्रार्थी ने यह इन्कार किया है कि वह स्वयं गाली गलौज करते हुये आरोपीगण के घर में घुस गया था, बल्कि स्वतः कथन कर बताया है कि उसे अभियुक्त संजय का छोटा भाई बुलाकर ले गया था।

12. प्रार्थी भरतलाल बरेठ (अ.सा.–1) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी संजय के छोटे भाई द्वारा बुलाकर ले जाने वाली बात को उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय नहीं बताया था। किंतु तत्संबंध में प्रार्थी भरतलाल की पत्नी मीना बाई (अ.सा.–4) का यह कथन अवलोकनीय है कि उसके घर में आरोपी रामायण साहू का बेटा प्रार्थी को बुलाने के लिये आया था, तब वह बतायी थी कि प्रार्थी बाजार तरफ गया है।

13. प्रार्थी भरतलाल (अ.सा.–1), सुरूज बाई (अ.सा.–3) तथा मीना बाई (अ.सा.–4) ने बताया है कि यह घटना सामान चोरी होने के कारण हुयी थी। प्रार्थी भरतलाल ने स्पष्ट किया है कि उक्त घटना दिनांक के पूर्व उसके दुकान से उसका कम्प्यूटर, कैमरा, मोबाईल चोरी हुआ था, जिसके बारे में पूछने के लिये अभियुक्तगण के घर गया था तो अभियुक्तगण उसे धमकाकर भेज

दिये थे। इसके अलावा उसका मोबाईल भी चोरी हुआ था, जिसकी आशंका उसे आरोपीगण पर थी। उसी बात को लेकर आरोपीगण उसे घटना दिनांक को बुलवाकर मारपीट किये थे। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि उसने उसकी दुकान से हुयी चोरी की रिपोर्ट की थी। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण के खिलाफ चोरी का प्रकरण नहीं चला था।

14. प्रथम सूचना पत्र प्र.पी.–1 में वर्णित अनुसार प्रार्थी के द्वारा घटना की जानकारी बड़कूराम बरेठ तथा अच्छेराम यादव को दी गयी थी। उक्त बड़कूराम (अ.सा.–2) के रूप में परीक्षित हुआ है। किंतु इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि यद्यपि वह आरोपी एवं प्रार्थी भरत को जानता है, किंतु झगड़े के समय उपस्थित नहीं था तथा झगड़े के बारे में उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार बड़कूराम (अ.सा. 2) अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी यह इन्कार किया है कि आरोपीगण द्वारा घर बुलाकर मारपीट किये जाने की बात उसे प्रार्थी भरत लाल ने बतायी थी तथा उसने भरत लाल के पीठ एवं चेहरे की चोट को देखा था।

15. ऐसे में यद्यपि स्वतंत्र साक्षी बड़कूराम ने प्रार्थी के कथन का समर्थन नहीं किया है। किंतु सूरूज बाई (अ.सा.–3) तथा मीना बाई (अ.सा.–4) जो क्रमशः प्रार्थी भरतलाल की मां एवं पत्नी है, ने घटना का समर्थन करते हुये अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक को

आरोपीगण ने प्रार्थी को अपने घर में बुलाया था। मीना बाई (अ.सा.–4) के अनुसार दोनों आरोपीगण प्रार्थी को बहुत मारे थे तथा दरवाजा को बंद कर दिये थे, जिससे भरतलाल के शरीर के हिस्सों में खरोच आयी थी। मीना बाई (अ.सा.–4) एवं सुरूज बाई (अ.सा.–3) के अनुसार प्रार्थी ने उन्हें बताया था कि आरोपी रामायण ने डंडे से तथा आरोपी सोनू ने उसे चप्पल से मारपीट किया था।

16. साक्षी सुरूज बाई (अ.सा.–3) के अनुसार वह प्रार्थी को बुलाने के लिये आरोपी के घर गयी थी, तब उसने देखा था कि घर का दरवाजा लगा हुआ था, जिस पर आसपास के लोग घटना के बारे में बताये थे। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि जब वह आरोपी के घर गयी थी, तब उसने देखा था कि प्रार्थी आरोपीगण को झटका देकर वहां से भाग रहा था। मीना बाई (अ.सा.–4) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह अपने घर में थी। इस साक्षी के अनुसार घटना के समय उसकी सास सुरूज बाई भी घर में थी।

17. प्रार्थी के अनुसार आरोपीगण द्वारा मारपीट करने के कारण उसे गाल एवं पीठ में चोटें आयी थी तथा मारपीट से उसका होठ कट गया था। उसके गाल में चप्पल से तथा पीठ में डंडे से मारपीट की गयी थी, तब रिपोर्ट के पश्चात पुलिसवाले उसे मुलाहिजा के लिये अस्पताल भेजे थे। हालांकि प्रतिपरीक्षण में प्रार्थी स्वीकार करता है कि होठ कटने वाली बात वह न्यायालय

में पहली बार बता रहा है। प्रार्थी की पत्नी मीना बाई (अ.सा.–4) ने भी बताया है कि प्रार्थी के शरीर में खरोचें आयी थी।

18. प्रार्थी के मुलाहिजा की पुष्टि करते हुये डॉ. पी.सिंह (अ.सा.–5) ने बताया है कि दिनांक 01.10.18 को दोपहर 2.30 बजे थाना बाराद्वार के आरक्षक क्र. 208 द्वारा आहत भरतलाल बरेठ को मुलाहिजा हेतु लाया गया था, जिसमें पाया था कि आहत के बायें पैर में घुटना के नीचे एवं दायें भुजा में एक–एक कन्टूजन था जिनके आकार 2 गुणा 2 सेमी. था। आहत गाल, पीठ में दर्द होना बताया था, किंतु बाहरी चोट नहीं थी। डॉ. पी.सिंह के अनुसार आहत को आयी चोटें कड़े एवं भोथरे वस्तु से 24 घंटे के भीतर पहुंचायी गयी साधारण प्रकृति की थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत को कारित हुयी चोट कड़े एवं पथरीली जगह पर गिरने से आ सकती है। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब आहत उसके पास मुलाहिजा के लिये लाया गया था, तब खून से लथपथ नहीं था।

19. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि मारपीट के कारण चोट लगने से उसका होठ कट गया था तथा खून उसके कपड़े में लग गया था। वह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उसके कपड़े को जप्त नहीं किया था। ऐसे में आरोपी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के द्वारा मिथ्या कथन किया गया है, क्योंकि चिकित्सक के अनुसार जब प्रार्थी को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया था, तब खून नहीं निकला था। किंतु

उल्लेखनीय है कि आरोपित घटना दिनांक 30.09.2018 को शाम 7.30 बजे के लगभग हुयी थी। वहीं प्रार्थी का मुलाहिजा दिनांक 01.10.2018 को 2.20 बजे किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शरीर अथवा कपड़ों पर मुलाहिजा के समय खून नहीं पाये जाने का स्वतः स्पष्टीकरण प्राप्त होता है।

20. आरोपी की ओर से इस आशय का भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सक के द्वारा प्रार्थी को डंडे से चोट कारित होने की पुष्टि नहीं की गयी है। इस संबंध में मुलाहिजा कर्ता चिकित्सक की साक्ष्य का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि डॉ. पी.सिंह (अ.सा.–5) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह डंडे से मारपीट या चोट के बारे में नहीं बता सकता। किंतु आहत को कारित हुयी चोटों के कड़े एवं भोथरे वस्तु से पहुंचाये जाने का अभिमत डॉ. पी.सिंह द्वारा दिया गया है, जिसका कोई खंडन नहीं हुआ है तथा डंडा उसी प्रकार का औजार है ।

21. प्रकरण के विवेचना अधिकारी का साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, किंतु उसका कारण विवेचना अधिकारी का मृत्यु हो जाना है, जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में किया गया है। कथित रूप से विवेचना के दौरान आरोपी संजय से एक चप्पल एवं मृत आरोपी रामायण से डंडे की जप्ती क्रमशः जप्ती पत्रक प्र.पी.–5 एवं प्र.पी.–4 के माध्यम से की गयी। किंतु उक्त जप्ती के स्वतंत्र साक्षीगण श्याम कुमार साहू (अ.सा.–6) तथा रविकुमार बरेठ (अ.सा.–7) ने जप्ती पत्रक प्र.पी.–4 एवं प्र.पी.–5 पर अपने

हस्ताक्षर होना बताया है, किंतु जप्ती की उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

22. ऐसे में आरोपी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जप्ती साक्षियों के द्वारा प्रकरण का समर्थन नहीं किये जाने से एवं अभियोजन साक्षियों के कथनों की विसंगतियों से आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। उक्त संदर्भ में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य विवेचना से प्रकट होता है कि यद्यपि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में कुछ लघु परस्पर विरोधाभाष पाये गये हैं। किंतु किसी भी व्यक्ति से एक लंबे समय के पश्चात किसी भी घटना के बारे में बताये जाने के लिये कहे जाने पर कुछ विरोधाभाष होना स्वाभाविक होता है। विदित हो कि घटना दिनांक 30.09.18 की है। वहीं प्रार्थी का कथन दिनांक 10.01.2022 को तथा उसकी मां एवं पत्नी का कथन दिनांक 09.01.2023 को लेखबद्ध किया गया है। इस कारण अभियोजन साक्षीगण के कथनों में प्रकट हुआ उक्त विरोधाभाष प्रकरण को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करता है।

23. यद्यपि साक्षी बड़कूराम (अ.सा.–2) द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है, किंतु स्वयं प्रकरण के प्रार्थी भरतलाल एवं उसके द्वारा घटना की जानकारी दिये जाने पर स्वाभाविक उपलब्ध साक्षी उसकी पत्नी मीना बाई एवं मां सुरूज बाई ने घटना का समर्थन अखंडित होकर किया गया है। प्रार्थी के द्वारा घटना के तत्काल पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी

गयी है एवं प्रार्थी का मुलाहिजा भी घटना दिनांक के अगले दिन ही कराया गया है, जिसमें उसे साधारण उपहित कारित होने की पुष्टि हुयी है। आरोपी की ओर से धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत उसे विद्वेशवश फंसाये जाने का स्पष्टीकरण दिया गया है। किंतु उक्त तथ्य को प्रमाणित करने के लिये आरोपी की ओर से बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

24. प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आरोपीगण द्वारा उसे घर अंदर ले जाकर उसके साथ मारपीट किया गया था। ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति (स्वतंत्र साक्षी)के द्वारा घटना देखे जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती। बल्कि प्रार्थी के द्वारा स्वाभाविक रूप से घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया गया था, जो प्रतिपरीक्षण में अखंडित रही है। ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 323 एवं 342 सहपठित 34 भा.दं.सं. के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है, जो अभियोजन साक्ष्य की समुचित विवेचना पर आधारित होना प्रकट होता है। **अतः धारा 323/34 एवं 342/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किये जाने की पुष्टि की जाती है।**

25. दण्डादेश पर विचार किया गया अपीलार्थी/आरोपी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय ने आरोपी को परिवीक्षा अवधि का लाभ नहीं दिया है, अतः उसे परिवीक्षा अवधि का लाभ दिया जावे। आरोपी का प्रथम अपराध है, अतः उसे सहानुभूति से देखा जाये। वहीं

उत्तरवादी की ओर से अपराध की प्रकृति को देखते हुये दण्डादेश उचित होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है।

26. जहां तक दण्डादेश का संबंध है, इस संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया। विद्वान विचारण नयालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को धारा 323/34 एवं धारा 342/34 भा.द.सं. के अपराध के लिए क्रमशः 01–01 माह के साधारण कारावास एवं क्रमशः 1000/– 1000/– के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम पर क्रमशः 15–15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया है, जिस पर विचार किया गया।

27. विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी एवं प्रार्थी एक ही गांव के रहने वाले हैं। प्रकरण के प्रार्थी/आहत को आयी चोटें साधारण प्रकृति की थी। आरोपी के इस अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध में संलिप्त होने का तथ्य अभियोग पत्र के अवलोकन से दर्शित नहीं हुआ है। आरोपी विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 से 09.05.2023 तक विचारण का सामना किया है तथा इस न्यायालय में भी दिनांक 02.08.2023 से आज दिनांक तक अपील प्रकरण का सामना किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुये आरोपी को उसके द्वारा इस प्रकरण में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं अधिरोपित अर्थदण्ड में वृद्धि किये जाने पर न्याय की मंशा की पूर्ति हो सकती है। अतः आरोपी को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323/34 एवं 342/34

भा.द.सं. में आज दिनांक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं क्रमशः 3500/– 3500/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। बढ़े हुये अर्थदण्ड की राशि 07 दिवस के भीतर अदा न किये जाने पर आरोपी को विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित अनुसार 15–15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये।

28. अपीलार्थी/आरोपी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में कुल अर्थदण्ड की राशि 2000/– का भुगतान किया जा चुका है, जिसे समायोजित करने के पश्चात शेष अर्थदण्ड की राशि 5000/– रूपये 07 दिवस के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कर पावती इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

29. इस प्रकार आरोपी को अधिरोपित कुल अर्थदण्ड में से 5000/– रूपये प्रकरण के प्रार्थी भरतलाल को बतौर क्षतिपूर्ति अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जाने हेतु विचारण न्यायालय निर्देशित किया जाता है। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

30. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति के संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखा जाता है ।

31. इस प्रकार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर निराकृत की गयी।

32. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे तथा निर्णय की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–
(डॉ. ममता भोजवानी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती
जिला–जांजगीर चांपा, (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/–
(डॉ. ममता भोजवानी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती
जिला–जांजगीर चांपा, (छ.ग.)